2006:CGHC:7012

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

कोरम: माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश एवं माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

क्रिमिनल अपील क्र. 221/1999

अपीलार्थी –

संपतलाल, पिता कोदूलाल महोबिया, आयु लगभग 38 वर्ष ,निवासी — पहरूबा (टोला), मेर, थाना — धीमरखेड़ा, जिला — जबलपुर, व्यवसाय — श्रमिक, टेलीफोन विभाग, बेलगहना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रतिवादी– मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित :

अपीलकर्ता की ओर से : श्री जे.डी. बाजपेयी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी राज्य की ओर से :श्री यू.एन.एस. देव, अपर लोक अभियोजक, सह श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

2006:CGHC:7012

दिनांक: 15 जून, 2006 को पारित

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश द्वारा::

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत यह अपील, विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 61/1997 में दिनांक 14.01.1999 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त–अपीलार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता उर्फ कुंतीबाई की हत्या करने के अपराध में, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है, दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

2. निर्विवाद रूप से, मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई, अपीलार्थी की दूसरी पत्नी थी। वह अपनी पत्नी के साथ फूलबाई के किराए के मकान में निवास करता था। घटना की तिथि को, पति–पत्नी दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि दिनांक 7 और 8 अगस्त, 1996 की मध्यरात्रि को लगभग 11 बजे, अपीलार्थी ने अपनी पत्नी सुनीता उर्फ कुंतीबाई पर केरोसिन तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और तत्पश्चात घटनास्थल से फरार हो गया। जलती हुई अवस्था में सुनीता उर्फ कुंतीबाई चिल्लाती हुई कमरे के बाहर दौड़ी। साक्षी फूलबाई ने कंबल की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। सुनीता उर्फ कुंतीबाई को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलगहना से जलने की घटना की सूचना रिपोर्ट पुलिस को भेजी गई। पुलिस ने उक्त सूचना की रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की और इसके बाद प्रधान आरक्षक दयाराम शर्मा उक्त प्रकरण की जाँच हेतु अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने घायल का कथन चिकित्साधिकारी डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो के माध्यम से दर्ज कराया। उसके कथन से यह स्पष्ट हुआ कि उसे उसके पति संपत द्वारा आग लगाकर जलाया गया; अतः इस आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना के दौरान, घटनास्थल से चूड़ियाँ, कुछ मात्रा में केरोसिन तेल से भरा जरीकेन, जलाने के लिए प्रयुक्त माचिस की तीली तथा अन्य सामग्री बरामद कर जब्त की गई; स्थल का नक्शा तैयार किया गया। सुनीता उर्फ कुंतीबाई का कथन कार्यपालिक दण्डाधिकारी डॉ. आर. खुँटे के माध्यम से भी दर्ज कराया गया। अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती सुनीता उर्फ कुंतीबाई की मृत्यु उक्त जलने की चोटों के कारण हो गई; अतः अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से परिवर्तित कर धारा 302 के अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस के उप–निरीक्षक ने मृत्यु समीक्षा कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और शव को शव परीक्षण हेतु भेजा। डॉ. (सुश्री) एम. सेन एवं डॉ. एस. मुखर्जी द्वारा शव परीक्षण किया गया तथा उन्होंने

यह राय व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण लगभग 90% तक गंभीर रूप से जलने के कारण उत्पन्न शॉक था। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए, यहाँ तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत भी फूलबाई एवं बाबूराम उर्फ बबुआ के कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अभियोग–पत्र (चालान) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय उपार्पित किया।

5. अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप निर्मित किया गया, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया, जिस पर उसने अपराध स्वीकार करने से इंकार किया। उसका पक्ष (बचाव) यह है कि वह निर्दोष है; वह मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई से नियमित रूप से मिलने नहीं जाता था, अतः उसने स्वयं को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया।

6. माननीय विचारण न्यायालय ने चिकित्साधिकारी डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारी डॉ. खुँटे (अ.सा./4) द्वारा दर्ज किये गए दोनों मृत्यु कालिक घोषणाओं पर विश्वास करते हुए तथा इस परिस्थिति पर भी विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी का समुचित उपचार कराने के स्थान पर घटनास्थल से पलायन किया, उसे अपनी पत्नी सुनीता उर्फ कुंतीबाई की हत्या करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उसी के अनुरूप उसे दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चिकित्साधिकारी डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) द्वारा दर्ज मृत्यु कालिक घोषणा (प्रदर्श पी/13) पर मृतका के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नहीं है, तथा उक्त घोषणा चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि बाद में पृथक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, अतः उस पर संदेह के परे विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा मृत्यु कालिक घोषणा, अर्थात् प्रदर्श पी/8, जो कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, वह भी विश्वास उत्पन्न नहीं करता क्योंकि उस समय मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई लगभग 90% तक जली हुई अवस्था में थी। इसके अतिरिक्त, जब पूर्व में ही एक मृत्यु कालिक घोषणा दर्ज किया जा चुका था, तो पुनः दूसरा मृत्यु कालिक घोषणा दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन किया।

8. यह तथ्य विवादित नहीं है कि सुनीता उर्फ कुंतीबाई जल गई थी और उसकी मृत्यु जलने के कारण उत्पन्न शॉक के परिणामस्वरूप हुई थी। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत

किया गया है—डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5), जिन्होंने प्रथम दृष्टया जलने की अवस्था में सुनीता उर्फ कुंतीबाई का परीक्षण किया था, एवं डॉ. एस. मुखर्जी (अ.सा./10), जिन्होंने शव परीक्षण किया था। इनका साक्ष्य द्वारा चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/9–ए) एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/17) सिद्ध किए गए हैं। डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 08.08.1996 को प्रातः 3:30 बजे सुनीता उर्फ कुंतीबाई को जलने की अवस्था में परीक्षण हेतु लाया गया। उन्होंने परीक्षण किया और पाया कि जलने की सीमा 67% थी। जलने की गहराई निम्नानुसार थी–

(क) हाथ की ऊपरी सतह (Dorsum) कलाई जोड़ तक,

(ख) बाएं हाथ की ऊपरी भुजा बाईं कंधे की जोड़ तक— 10" × 2",

(ग) बाएं अग्रबाहु के मध्य भाग में — 4" × 1",

इन भागों में त्वचा श्वेत थी तथा अन्य भागों में लाल व काली रंग की फफोलेदार जली हुई त्वचा पाई गई। डॉ. एस. मुखर्जी (अ.सा./10) ने अपने कथन में बताया कि मृतका के शव के परीक्षण पर यह पाया गया कि चेहरे, गर्दन, छाती, पेट, दोनों जांघों, दोनों ऊपरी एवं निचले अंगों पर प्रथम एवं द्वितीय डिग्री के जलने के घाव पाए गए, और कुल मिलाकर 90% जलन पाया गया। उसकी मृत्यु का कारण अत्यधिक जलने (90%) से उत्पन्न शॉक था। उपरोक्त साक्ष्यों एवं प्रतिवेदनों (प्रदर्श पी/9–ए एवं पी/17) से यह स्थापित होता है कि सुनीता उर्फ कुंतीबाई को जलने की चोटें आई थीं और उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. फूलबाई (अ.सा./1) तथा बाबूराम उर्फ बबुआ (अ.सा./2), जो कि उसी मकान में रहते थे जहाँ अपीलार्थी एवं मृतका किराए पर रह रहे थे, को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने पुलिस कथनों में यह बताया कि उन्हें सुनीता उर्फ कुंतीबाई ने यह जानकारी दी थी कि अपीलार्थी ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इन दोनों साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध कथन दिए; किन्तु विचारण के दौरान ये दोनों साक्षी पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अपने पूर्व कथनों से मुकर गए।

10. पहला मृत्यु कालिक घोषणा प्रदर्श पी/13 है, जिसे डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) द्वारा दर्ज किया गया था, किंतु यह चालान के साथ संलग्न नहीं किया गया था। परंतु जब विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.1998 को साक्षी प्रधान आरक्षक दयाराम शर्मा का परीक्षण किया गया, तब न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य आया कि डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) द्वारा मृत्यु कालिक घोषणा दर्ज किया गया था; अतः न्यायालय के निर्देश पर उक्त मृत्यु कालिक घोषणा पुलिस केस डायरी से निकालकर चालान का भाग बनाया गया। उसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराई गई। डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई का मृत्यु कालिक घोषणा प्रातः 6:45 बजे ड्रेसर श्री के.डी. डहरिया एवं कम्पाउंडर श्री एस.के. लाल की उपस्थिति में दर्ज किया। उस समय मृतका कथन देने हेतु मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम थी। उस कथन में मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई ने बताया कि मध्यरात्रि में लगभग 11 बजे, अपीलार्थी ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। डॉ. (सुश्री) ए.एन. खल्खो (अ.सा./5) ने मृत्यु कालिक घोषणा प्रदर्श पी/13 को सिद्ध किया। उन्होंने मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई से उस कथन (पी/13) पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया। उनका लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया, किंतु उनसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि उन्होंने मृतका के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान क्यों नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, केवल इस आधार पर कि मृत्यु कालिक घोषणा पर मृतका के हस्ताक्षर नहीं हैं, चिकित्साधिकारी द्वारा दर्ज मृत्यु कालिक घोषणा, जो न तो अपीलार्थी से शत्रुतापूर्ण संबंध रखती थीं और न ही मृतका से किसी प्रकार की स्वार्थसिद्धि की अपेक्षा रखती थीं, को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी उजागर नहीं हुआ है जिससे उनके कथन को अविश्वसनीय ठहराया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उसी दिन, कार्यपालिक दण्डाधिकारी डॉ. खुँटे (अ.सा./4) ने भी सुनीता उर्फ कुंतीबाई का कथन दर्ज किया और उसे प्रदर्श पी/8 के रूप में सिद्ध किया। डॉ. खुँटे (अ.सा./4) ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहा कि सुनीता उर्फ कुंतीबाई ने बताया कि अपीलार्थी ने उस पर केरोसिन डाला और आग लगा दी। अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि सुनीता उर्फ कुंतीबाई कथन देने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी दिया कि कथन दर्ज करते समय चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति का कारण नहीं बता सका। उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ है जिससे उनके कथन को अविश्वसनीय ठहराया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह मृत्यु कालिक घोषणा जो कि संख्या में दूसरा है, केवल इस आधार पर कि यह द्वितीय कथन है, अग्राह्य नहीं हो जाता।

12. मृत्यु कालिक घोषणा प्रदर्श पी/13 एवं पी/8 विधिपूर्वक सिद्ध किए गए तथा स्वीकार्य पाए गए, और विचारण न्यायालय ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों मृत्यु कालिक घोषणाओं को स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषी ठहराने हेतु उन पर विश्वास किया। दोनों मृत्यु कालिक घोषणा परस्पर विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक–दूसरे की पुष्टि करते हैं; इन्हें चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अपीलार्थी के आचरण से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी समर्थन प्राप्त है।

13. साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि यद्यपि पति-पत्नी अर्थात् अपीलार्थी एवं मृतका एक ही कमरे में थे और उसी कमरे में मृतका सुनीता उर्फ कुंतीबाई को आग लगाई गई, तथापि अपीलार्थी उसे जलती अवस्था में छोड़कर घटनास्थल से चला गया। अपीलार्थी ने न तो उसका उपचार करवाने का प्रयास किया और न ही घटना की सूचना पुलिस को दी। यद्यपि अपीलार्थी यह दावा करता है कि उसने आग बुझाने का प्रयास किया और उसके दोनों हाथों में जलने की चोटें आईं, किंतु न तो इस संबंध में कोई रिपोर्ट उपलब्ध है और न ही कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सके। अतः अपीलार्थी का यह आचरण भी अपराध में उसकी संलिप्तता की ओर संकेत करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हम इस सुविचारित मत पर पहुँचते हैं कि विचारण न्यायालय ने दोनों मृत्यु कालिक घोषणाओं, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अपीलार्थी के आचरण पर भरोसा करते हुए यह निर्णय सही रूप से दिया कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता उर्फ कुंतीबाई की हत्या का अपराध किया है, और उसे उचित रूप से दंडित किया गया है।

15. प्रकरण से पृथक होते समय, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान समय में साक्षीगण के पक्षद्रोही होने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। कि साक्षीगण पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष पूर्व में दिए गए अपने कथनों से पीछे हट जाते हैं, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। कुछ अपवादों को छोड़कर, अधीनस्थ न्यायालयों ने कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने हेतु, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। वर्तमान प्रकरण में यह सिद्ध हुआ कि फूलबाई (अ.सा./1) एवं बाबूराम उर्फ बबुआ (अ.सा./2) उपस्थित थे, तथा उन्होंने पुलिस के समक्ष एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने कथन दिए थे; किंतु अपराधी को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने तुच्छ आधारों पर अपने पूर्व कथनों से पलटते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष असत्य कथन दिया। अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों से भी यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष सत्य उद्घाटित करने के स्थान पर असत्य कथन किया। भविष्य में यदि इस प्रकार के प्रकरण संबंधित

न्यायालयों के संज्ञान में आते हैं, तो उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 में निहित प्रावधानों का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए एवं न्यायिक प्रणाली की पवित्रता को विफल करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

16. अपील असफल होती है; विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

सही/-
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Ankita Jangde, Advocate